NDOH: 24.03.2025

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1144/2024

IN THE MATTER OF:

Mohan Singh Bagri …………..Applicant

Versus

State of Uttarakhand & ORS. ………… Respondents

INDEX OF FILING

Sl.No.	PARTICULARS	Page N0.
1	Affidavit on behalf of respondent no. 02, Irrigation Department Govt. of Uttarakhand	1-3
2	ANNEXURE A-1 Copy of the letter dated 10.02.2025	4-6
3	ANNEXURE A-2 Copy of the Order dated 19.11.2024	7-8
4	ANNEXURE A-3 Copy of the Report 31.12.2024	9-12
5	ANNEXURE A-4 Copy of the Order dt. 08. 01.2025	13-14
6	ANNEXURE A-5 Copy of the letter dt. 15.01.2025	15
7	ANNEXURE A-6 Copy of the letter dt. 29.01.2025	16-18
8	ANNEXURE A-7 Copy of the letter dt. 06.02.2025	19-20
9	Vakalatnama	21
10	Proof of Service	22

FILED ON: 14/02/2025

FILED BY:

(DHRUV TAMTA)
Advocate for the Respondents
Chamber No. 331, M.C. Setalvad Bock Supreme Court of India,
Bhagwan Das Road, New Delhi
Mo. 9899989917 Email - tamtaadvocates@outlook.com

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1144 OF 2024

IN THE MATTER OF:

SHRI MOHAN SINGH BAGRI ... **APPLICANT**

NOTARY SANJEEV KUMAR Advocate Dehradun District Reg. No. 34(01)/2023 GOVT. OF UTTARAKHAND 11/02/2025

NOTARIAL

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS. ... **RESPONDENTS**

NOTARIAL

AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 02, SECRETARY IRRIGATION, UTTARAKHAND GOVERNMENT

I, Jai Lal Sharma, S/o Late Sh. B. R. Sharma, aged about 58 years, presently working as Joint Secretary, Department of Irrigation, Government of Uttarakhand, having my office at Dehradun, Uttarakhand, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am the deponent herein and am well conversant with the facts and circumstances of the present case. I am competent to depose this affidavit.

2. That as per letter number 1385/S.K.R./Courtcase/NGT/dated 10.02.2025 issued by the Executive Engineer, Irrigation Division, Rudraprayag, it is informed that an application was submitted by the Applicant before the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, regarding the disposal of debris from excavation work for road and bridge construction undertaken by PMGSY, Irrigation Division, Jakholi and Bridge and Roof Company (India) Limited on Semalta-Kafna Dungra Motor Road and Bhardari Gad bridge. The same was registered as Original Application No. 1144/2024. A true copy of the letter dated 10.02.2025 is annexed hereto and marked as **ANNEXURE A-1**.

NOTARY SANJEEV KUMAR Advocate Dehradun District Reg. No. 34(01)/2023 GOVT. OF UTTARAKHAND

3. That in relation to the said original application, this Tribunal vide order dated 19.11.2024, constituted a Joint Committee and directed as follows:

"The above committee shall visit the site, collect relevant information, and if finds violation of environmental laws, identify the violators and submit factual report within one month."

A true copy of the Order dated 19.11.2024 is annexed hereto and marked as **ANNEXURE A-2**.

4. That in compliance with the said order, the Joint Committee conducted an inspection on 11.12.2024 and further, the said joint inspection report was made available to authorized lawyer for making available to Hon'ble NGT vide letter dated 31-12-2024 issued by the District Magistrate, Rudraprayag. A true copy of the joint inspection report dated 31.12.2024 is annexed hereto and marked as **ANNEXURE A-3**.

   On the basis of the said report, finding violations, this Hon'ble Tribunal issued a notice on 08.01.2025 and directed the respondents to file their replies. A true copy of the Order dated 08.01.2024 is annexed hereto and marked as **ANNEXURE A-4**.

5. That the Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun, vide letter no. UKPCB/HO/SA-183-828/2025/1520 dated 15.01.2025, sought details regarding the total amount of debris generated during road construction, the amount of debris disposed of at designated disposal sites, the quantity of debris that entered Bhardari Gad, the affected area, and a time-bound action plan for mitigation. A true copy of the letter dated 15.01.2025 is annexed hereto and marked as **ANNEXURE A-5**.

6. That in response, the Office of Executive Engineer, PMGSY Irrigation Division, Jakholi, through letter number 2261/PMGSY/S.K. dated 29.01.2025, submitted a report indicating that approximately 1800.00 cubic meters of debris were generated, affecting an area of about 600.00 square meters. To mitigate the impact, additional wire cages/walls were being constructed parallel to Bhardari Gad and at the disposal site.A true copy of the letter dated 29.01.2025 is annexed hereto and marked as **ANNEXURE A-6**.

7. That in connection with this matter, Bridge and Roof (India) Company Limited, PEU, Rudraprayag, through letter number B&R/NZ/71123/PMGSY-RUD/091 dated 06.02.2025, informed its higher officials that a temporary ramp had been constructed with 643 cubic meters of debris for facilitating movement of workers and

NOTARY SANJEEV KUMAR Advocate Dehradun District Reg. No. 34(01)/2023 GOVT. OF UTTARAKHAND

machines used in bridge construction. A true copy of the letter dated 06.02.2025 is annexed hereto and marked as **ANNEXURE A-7.**

8. That from the foregoing paras, it is evident that further action in this matter is to be undertaken by the Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun, the Executive Engineer, PMGSY Irrigation Division, Jakholi, and Bridge and Roof (India) Company Limited, PEU, Rudraprayag. Therefore, the answering Respondent may be deleted from the array of parties as no action is to be taken by them. However, if this Hon'ble Tribunal directs the answering Respondent to carry out any action, it will abide by it.

NOTARY ★ SANJEEV KUMAR Advocate Dehradun District Reg. No. 34(01)/2023 GOVT. OF UTTARAKHAND

DEPONENT

VERIFICATION

I, Jai Lal Sharma, the deponent above-named, do hereby verify that the contents of the present affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief, and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at on 11th day of February 2025.

S. No. 399/2025
Date 11/02/2025

DEPONENT

Identified by
11/02/2025
(Hari Darshan Rawat)

This affidavit is sworn before me by
Shri/Smt. Jai Lal Sharma
who is identified by Shri. Hari Darshan Rawat
at Dehradun on 11/02/2025

Sanjeev Kumar
Advocate & Notary, Dehradun

संलग्नक :- 1 4

Email

Public Grievance

300/14/2024
19/02/24

Fwd: पी एम जी एस वाई के तहत सेमलता कफना डुंगरा मोटर मार्ग निर्माण व भरदारी गाड में पुल निर्माण कार्य के मल्वे का निस्तारण

From : Registrar General <rg.ngt@nic.in>
Sat, Jan 27, 2024 02:23 PM

Subject : Fwd: पी एम जी एस वाई के तहत सेमलता कफना डुंगरा मोटर मार्ग निर्माण व भरदारी गाड में पुल निर्माण कार्य के मल्वे का निस्तारण
3 attachments

To : Public Grievance <publicgrievance-ngt@gov.in>

From: "mohans bagari1958" <mohans.bagari1958@gmail.com>
To: "Registrar General" <rg.ngt@nic.in>, dmrudraprayag@gmail.com, "Chief Minister Uttarakhand" <cm-ua@nic.in>, rawattirathsingh@gmail.com
Sent: Thursday, January 25, 2024 3:30:23 PM
Subject: पी एम जी एस वाई के तहत सेमलता कफना डुंगरा मोटर मार्ग निर्माण व भरदारी गाड में पुल निर्माण कार्य के मल्वे का निस्तारण

सेवा में,
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली

बिषय: पी एम जी एस वाई के तहत सेमलता कफना डुंगरा मोटर मार्ग निर्माण व भरदारी गाड में पुल निर्माण कार्य के मल्वे का निस्तारण

महोदय,

हमारे पत्र सं.2022-23/6 दिनांक 17 जनवरी 2023 (प्रतिलिपि संलग्न) के संदर्भ में आपके द्वारा केस डायरी न0701110007182023 . दर्ज किया गया था। महोदय इस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रगति नजर नहीं आ रही है और न ही आपकी वेबसाइट पर कोई जानकारी मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पीएमजीएसवाई वालों ने ठेकेदार को सही डम्पिंग जोन बनाने के लिये नहीं कहा है, जबकि ठेके की शर्तों में 10 (दस) डम्पिंग यार्ड बनाने का अनुबंध था। ठेकेदार का कहना है कि उन्होंने सड़क निर्माण कार्य पूरा कर दिया है और पुल का निर्माण दूसरा उपक्रम कर रहा है। हाल ही में इस सड़क के निर्माण के बारे में जानने के लिये भरदारी गाड छेत्र का भ्रमण किया तो मैंने देखा कि सड़क पर डामर पड़ गया है, मगर भरदारी गाड़ में पुल निर्माण कार्य चल रहा है। जब मल्वे के निस्तारण के बारे में पता किया तो पीएमजीएसवाई वालों ने बताया कि उन्होंने ठेकेदार को निर्देश दे दिये है और वह अपना काम कर रहा है।
2) उत्तराखंड में पिछले दसक में विकास कार्यों में जहां एक ओर तेजी आई है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को बहुत बडी छत्ति पहुंच रही है। यही मुख्य कारण है कि जोशीमठ में भूस्खलन होने के कारण भारी संख्या में पलायन हो रहा है। विकास कार्यों में सबसे ज्यादा काम सड़कों के अन्धाधुन्ध निर्माण हुआ है और दूसरी तरफ नदियों में डाम बनने से हो रहा है। प्राय: यह देखा गया है कि देश में ओएनजीसी, कोल इंडिया, खनिज कार्यों में लगे संस्थान आदि जब कभी किसी प्रकार का नुकसान पंहुचाते हैं तो वहा पर फिर से उस जगह को विकसित करते हैं। उसके लिये साइट रेस्टोरेशन फंड (Site Restoration Fund) में सालाना लाभ में से कुछ हिस्सा डालना होता है। यही कार्य डाम, सड़क, पुल इत्यादि पर लागू होता है। अगर कोई विकास कार्य किया जाता है और उससे प्रकृति और जनमानस को नुकसान पहुंचता है तो ऐसे विकास

NOTARY
RAJEEV KUMAR
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 34(01)/2023
GOVT. OF UTTARAKHAND

का कोई सामाजिक लाभ नहीं है। इस सड़क व पुल के बनने से जो मल्वा भरदारी गाड में डाला गया है, उससे मानसून की भारी बारिश में नीचे की सिंचाई वाली भूमि को अप्रत्यासित नुकसान होने का अनुमान है, इसको केवल सही ढंग के डम्पिंग यार्ड बनाने से रोका जा सकता है।

3) जब पुल निर्माण करने वाले उपक्रम के कंसल्टेंट श्री रोबिन दल्ली से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पुल का निर्माण कार्य मई-जून 2023 में शुरू किया गया था, मगर बाद में जब डिजानर को भेजा गया तो उन्होंने पूर्व निर्धारित जगह को उपयुक्त नहीं पाया। इस बात को ध्यान में रखते हुये फिर से ब्रिज एक्सपर्ट की टीम ने सर्वेक्षण किया और उनकी रिपोर्ट के अनुसार पुल की की जगह बदलनी पड़ी है। पहले पुल 30 मीटर का बनना था, मगर अब ब्रिज एक्पर्ट की रिपोर्ट आने के बाद 48 मीटर का पुल बनेगा। जब मैं पुल की साइट पर गया तो पता चला कि पुल की सतह पहले जहां खोदी गई थी उसे छोड़कर, लगभग बीस मीटर नीचे दूसरी जगह पर खुदाई की जा रही है।

4) इस मोटर मार्ग व पुल के निर्माण से भरदारी गाड में अब मल्वे के ढेर लगे हैं और दो जगह पर पुल की खुदाई होने से नदी का बहाव प्रभाहित हो गया है। आपकी जानकारी के लिये इसके कुछ फोटो संलग्न कर रहे हैं।

5) इस इलाके में बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए सड़क संपर्क आवश्यक था और पुल का निर्माण भी जरूरी था। लेकिन सड़क व पुल के निर्माण के कारण भरदारी गाड में बने दो घ्राट भी नष्ट हो गये हैं, जिनसे सेमलता, गंवणा, थापली, सिरोला, कफना, डुंगरा, तिमली, इत्यादि गांवों के लोग अनाज पिसवाते थे। घ्राटों के नष्ट होने से उनको अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

5) पुल की सतह बदलने से दो जगह खुदाई से जो पुराने घ्राटों के लिये पानी नहर आती थी, उसको खोदकर नदी के बहाव को बंद कर दिया गया है। साथ ही दोनों घ्राटों की जगह पर पुल के सतह का निर्माण किया जायेगा।

महोदय से निवेदन है कि सड़क व पुल के निर्माण से हुई छति की पूर्ति के हेतु निम्नलिखित कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देश देने की कृपा करें:

1) पीएमजीएसवाई विभाग सड़क के ठेकेदार को पुल के पास वाली खाली जगह पर एक डम्पिंग जोन बनाकर भरदारी गाड में पड़े मल्वे को साफ करके डम्पिंग यार्ड में डाला जाय।

2) पुल के ठेकेदार को भी पुल निर्माण का काम पूरा होने के उपरान्त, भरदारी गाड में पड़े मल्वे को डम्पिंग यार्ड में डालने हेतु सम्बंधित विभागों को निर्देश देने की कृपा करें।

3) सड़क व पुल के काम से छतिग्रस्त घ्राटों को सुरछित जगह पर पुनर्निर्मित करने हेतु जगह निर्धारित व आवन्टित करने हेतु सम्बंधित विभागों को निर्देश देने की कृपा करें। घ्राटों के पुनर्निर्माण हेतु समलता व थापली के ग्रामीणों को समुचित मुवावजा देने हेतु निर्देश दिये जाय, ताकि वे वहां पर फिर से उन दोनों घ्राटों को बनवा सकें। इन दोनों घ्राटों के पुनर्निर्मित करने से न केवल दो तीन लोगों को रोजगार मिल सकता है, अपितु लोगों पनचक्की में पिसा गेंहू व मंडुवे का आटे की रोटी खाने का पुनः अवसर मिलेगा। साथ ही प्रधान मंत्री द्वारा चलाये गये मोटे अनाज के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।

4) मैंने उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से सुझाव दिया था कि सड़क के मल्वे को डम्पिंग यार्ड में डालकर इस्तेमाल किया जाय, जैसे 2017 में पीडब्लूडी के पत्रांक 522/2017 दिनांक 29/5/2017 जारी दिशा निर्देश में दिया गया है कि डम्पिंग यार्ड को पब्लिक पार्क में परिवर्तित करके विकसित किया जाना चाहिये। उन्हीं दिशानिर्देशों का पालन करते हुये, पीएमजीएसवाई को डम्पिंग यार्ड में पार्क विकसित करने के निर्देश दिये जाय।

5) डम्पिंग यार्ड से विकसित पार्क में ओपन जिम भी लगाये जाने हेतु सम्बंधित विभागों को निर्देश देने की कृपा करें। ओपन जिम लगने से आस पास के लोगों शारीरिक व्यायाम करने की सुविधा प्राप्त हो जायेगी। जो लोग सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उन्हें भी अभ्यास करने का अवसर मिलेगा।

6) अगर सुनियोजित ढंग से यहां पर पार्क बनाकर ओपन जिम लगाया जाता है और साथ में दोनों घ्राटों को पुनर्जिवित किया जाता है तो न केवल यह जगह एक पर्यटन केन्द्र बनेगा, अपितु इस इलाके के लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे पलायन की गति पर रोक लग सकती है।

NOTARY
SANJEEV KUMAR
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 34(01)/2023
GOVT. OF UTTARAKHAND

27.12.2024 16:07

अंत में, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आपकी वेबसाइट पर केस स्टेटस नहीं दिखने के कारण इनके दर्ज की गई शिकायत की कार्यवाही का पता नहीं चल पाता है। आम जनता द्वारा की गई शिकायतों का समय समय पर अवलोकन हेतु वेबसाइट को ठीक करवाने का कष्ट करें।

भवदीय

मोहन सिंह बागड़ी
ग्राम: सेमलता
पट्टी:भरदार
ब्लॉक: जखोली
जिला: रूद्र प्रयाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु:
1) श्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य मंत्री उत्तराखंड
2)श्री तीरथ सिंह रावत, सांसद, गढवाल छेत्र, उत्तराखंड
3) श्री भरत सिंह चौधरी, विधायक , रूद्र प्रयाग छेत्र, उत्तराखंड
4)जिलाधिकारी,जिला रूद्र प्रयाग,

IMG-20240125-WA0002.jpg
109 KB

IMG-20240125-WA0001.jpg
155 KB

IMG-20240125-WA0000.jpg
178 KB

NOTARY
SANJEEV KUMAR
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 34(01)/2023
GOVT. OF UTTARAKHAND

संलग्नक 7-2

Item No. 06 Court No. 2

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1144/2024

Mohan Singh Bagri Applicant

Versus

State of Uttarakhand Respondent

Date of hearing: 19.11.2024

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None

ORDER

1. Letter petition dated 27.01.2024 sent by Mohan Singh Bagri, Village Semlata, Patti Bhardar, Block Jakholi, District Rudra Prayag has been registered as Original Application (hereinafter referred to as **'OA'**) under Section 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as **'NGT Act, 2010'**) in exercise of *suo-moto* jurisdiction in view of law laid down by Supreme Court in *"Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha & Ors." reported in 2021 SCC Online SC 897.*

2. Complainant has said that road construction was carried out under Prima Minister Gramin Sadak Yojna at Semlata, Kafna, Dungra Motor Marg and a bridge at Bhardari Gad but construction and demolition waste and muck has been dumped by agency carrying out construction activities in river affecting two gharats (water mills). Though 10 dumping yards were to be created but the same were not provided by construction agencies and environment is seriously damaged during the course of above construction.

NOTARY SANJEEV KUMAR Advocate Dehradun District Reg. No. 34(01)/2023 GOVT. OF UTTARAKHAND

3. In our view, *prima facie* a substantial question relating to environment due to implementation of Enactments specified in Schedule I

to NGT Act, 2010 has arisen. However, before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual report for which we constitute a joint Committee comprising:

i. District Magistrate, Rudra Prayag

ii. Uttarakhand State Pollution Control Board (hereinafter referred to as '**UKPCB**')

iii. A representative of Principal Secretary, Irrigation Department, Uttarakhand not below the rank of Executive Engineer.

4. District Magistrate, Rudra Prayag shall be the nodal authority for coordination and compliance.

5. The above Committee shall visit the site, collect relevant information, and if finds violation of environmental laws, identify the violators and submit factual report within one month.

6. List on 08.01.2025.

NOTARY
SANJEEV KUMAR
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 349/15/2024
GOVT. OF UTTARAKHAND

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

November 19, 2024
Original Application No. 1144/2024
SN

सम्प्र० 9 - 5

।। पंजीकृत/ई–मेल।।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

सेवा में,

श्री ध्रुव टम्टा,
पैनल अधिवक्ता,
331, एम.सी. शीतलवाड ब्लॉक,
सर्वोच्च न्यायालय,
नई दिल्ली।

संख्या– 1331 /33–10 (2024–25) दिनांक दिसम्बर, 31 ,2024

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–1144/2024 मोहन सिंह बागड़ी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–1144/2024 मोहन सिंह बागड़ी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के मामले में दिनांक 19.11.2024 को पारित आदेश के क्रम में गठित समिति तथा अन्य विभागों द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 को किया गया। अधोहस्ताक्षरी की ओर से उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग स्थलीय निरीक्षण में उपस्थित हुए।

उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग ने अपने पत्र संख्या–59/पी0ए0–2024 दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 द्वारा उपरोक्त प्रकरण से संबंधित संयुक्त निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की गयी है।

न्याय एवं संयुक्त विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के U.O. No. 886/XXXVI-A-3/Law Sec./2024-70(03)2024-Rural Development-2 Dated 31 December 2024 द्वारा संबंधित प्रकरण में आपकों राज्य सरकार की ओर अधिवक्ता नामित किया गया है।

अतएव अनुरोध है कि वर्णित संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुरूप प्रतिशपथ–पत्र तैयार करवाकर ई–मेल आई.डी. dmrudraprayag@gmail.com एवं oc.co.rpg@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार प्रतिशपथ–पत्र समयान्दर दाखिल किया जा सकें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(सौरभ गहरवार)
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को मा0 प्राधिकरण द्वारा दिनांक 11.07.2024 को पारित आदेश के क्रम में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2, देहरादून।

2– श्री अमित पोखरियाल, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, ई–115 नेहरू कॉलोनी, देहरादून।

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

NOTARY SANJEEV KUMAR Advocate Dehradun District Reg. No. 3401/2023 UTTARAKHAND

OC/MC
ADM
12.12.2024

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 59 /पी0ए0–2024, रूद्रप्रयाग, दिनांक– 11, दिसम्बर, 2024 ।

विषय– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–1144/2024, मोहन सिंह बागड़ी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के मामले के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके आदेश संख्या–901/33–10 (2024–25), दिनांक–09 दिसम्बर, 2024 का सादर सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण के संबंध में संयुक्त निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्तांकित आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विषयगत प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रुद्रप्रयाग एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून द्वारा अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, (सिंचाई खण्ड) जखोली एवं शिकायकर्ता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रश्नगत स्थल का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया।

अतः उपरोक्तानुसार तैयार संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या मूल में संलग्न कर महोदय के संज्ञानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(आशीष चन्द्र घिल्डियाल)
उप जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

NOTARY
GOVT. OF UTTARAKHAND

।। संयुक्त निरीक्षण आख्या ।।

कार्यालय जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या–901/33–10 (2024–25), दिनांक–09 दिसम्बर, 2024 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–1144/2024, मोहन सिंह बागडी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में शिकायतकर्ता श्री मोहन सिंह बागड़ी, निवासी ग्राम सेमलता, पटटी भरदार, विकासखण्ड जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा सेमलता–कफना–डुंगरा मोटर मार्ग पर सड़क निर्माण तथा भरदारी गाड़ में पुल निर्माण के कार्य से निकले मलवे को नदी में डाले जाने से दो घराट प्रभावित होने के संबंध में जॉच हेतु निम्नवत् संयुक्त टीम का गठन किया गया है–

1. उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग।
4. उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रुद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी महोदय के उक्तांकित पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त गठित समिति द्वारा आज दिनांक–11 दिसम्बर, 2024 को विषयगत स्थल का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रही है–

1. उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग।
4. उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, रुद्रप्रयाग।
5. सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, (सिचाई खण्ड) जखोली।
7. सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, (सिचाई खण्ड) जखोली।
8. शिकायतकर्ता श्री मोहन सिंह बागडी, ग्राम सेमलता, पटटी भरदार, विकासखण्ड जखोली के प्रतिनिधि श्री शिशुपाल सिंह बागडी पुत्र रतनू सिंह, ग्राम सेमलता।
9. श्री रनजीत तरफदार, प्रतिनिधि ब्रीज एण्ड रूफ कम्पनी इंडिया लि0।
10. श्री सोहन लाल, राजस्व उप निरीक्षक, तहसील रुद्रप्रयाग।

निरीक्षण के समय की उपस्थिति का विवरण संलग्न है– (अनुलग्नक–1)

विषयगत प्रकरण/स्थल से संबंधित स्थलीय निरीक्षण आख्या बिन्दुवार निम्नवत् हैः–

स्थलीय निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या–829/पी1–34(Phase-XVI) /यू.आर.आर.डी.ए./18, दिनांक–14 मई, 2018 के माध्यम से उक्त सड़क सेमलता–कफना–डुंगरा (Semalta to kafna satni, L050 कि0मी0 12 की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। **(अनुलग्नक–2)**

उक्त सड़क के निर्माण हेतु भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/यू0सी0पी0/06/182/2019/एफ0सी0/1587, दिनांक–20.10.2020 के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त की गयी है, **(अनुलग्न–3)**। तदोपरान्त उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के लिये अनुबन्ध संख्या–54/UT-10-39(I)/XVI/CE-URRDA/2018-19 दिनांक–11.10.2018 के माध्यम कार्य आवंटित किया गया **(अनुलग्नक–4)** एवं उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा उक्त सड़क निर्माण में स्थान भरदारी गाड़ पर पुल के निर्माण हेतु रूफ एवं ब्रीज इंडिया लि0 को कार्य आवंटित किया गया है, **(अनुलग्न–5)**।

1. निरीक्षण के दौरान अपर सहायक अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, जखोली द्वारा अवगत कराया गया गया कि शिकायतकर्ता श्री मोहन सिंह बागड़ी, निवासी ग्राम सेमलता को उनके दूरभाष नम्बर–9999052323 पर दिनांक–10 दिसम्बर, 2024 को लगभग प्रातः 07:30 बजे अवगत कराया गया कि दिनांक–11 दिसम्बर, 2024 को आपके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित

अधिकरण, नई दिल्ली में दर्ज की गयी शिकायत के संबंध में गठित समिति द्वारा जॉच की जानी है, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वे वर्तमान समय नोएडा में निवासरत् हैं एवं दिनांक–11 दिसम्बर, 2024 को जॉच के दौरान मौके पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मेरे द्वारा मौके पर अपने किसी प्रतिनिधि को भेजा जायेगा। संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के दौरान शिकायकर्ता के प्रतिनिधि के रूप में श्री शिशुपाल सिंह बागड़ी पुत्र रतनू सिंह, ग्राम सेमलता मौके पर उपस्थित थे।

2. निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, जखोली द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त वर्णित सड़क पर जगह–जगह कुल 06 डम्पिंग जोन हैं। इस संबंध में कार्यदायी संस्था पी0एम0जी0एस0वाई, जखोली द्वारा मक डम्पिंग प्लान प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, **(अनुलग्नक–6)**। प्रश्नगत स्थल पर सड़क निर्माण से उत्सर्जित मलवे (CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE) गिरने से भरदारी गाड़ में पानी के बहाव की चौड़ाई कम हुई है। प्रश्नगत स्थल पर एक डम्पिंग यार्ड पाया गया, जिसमें नीचे की तरफ वायर क्रेटस स्थापित पाये गये, जो अत्यधिक मलवा आने से क्षतिग्रस्त पाये गये, जिससे जनित मलवा भरदारी गाड़ में भी गया है, जिसकी पुष्टि निरीक्षण के समय भी की गयी। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्षा काल के समय सड़क के ऊपरी भू–भाग से भू–स्खलन के दौरान उत्सर्जित मलवा भी उक्त भरदारी गाड़ में जाना पाया गया। भरदारी गाड़ में स्थापित घराट (वार्टर मिल) के संबंध में राजस्व अभिलेखों से पुष्टि की गयी, जिसमें पूर्व में उक्त स्थान पर घराट स्थापित था। सड़क निर्माण व वर्षा काल में भू–स्खलन से उत्सर्जित मलवा, कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित डम्पिंग यार्ड के नीचे लगाये गये वार्यर क्रेट क्षतिग्रस्त हुये हैं तथा अतिरिक्त मलवा उक्त भरदारी गाड़ में आने से घराट दब गया है/क्षतिग्रस्त हुआ है।

3. निरीक्षण के समय भरदारी गाड़ पर ब्रीज एण्ड रूफ इंडिया लि0 द्वारा 48 मीटर लम्बे पुल का निर्माण कार्य गतिमान पाया गया। पुल निर्माण के दौरान कटिंग व नीव खुदाई आदि से उत्सर्जित मलवा/मक निमार्णाधीन स्थल पर पाया गया। उक्त मलवे से भरदारी गाड़ का पानी के बहाव की चौड़ाई कम हुई है।

मौका निरीक्षण एवं कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख एवं मौके पर हुई वार्ता तथा उपस्थित शिकायतकर्ता के प्रतिनिध व अन्य ग्रामीणों से हुई वार्ता के अनुसार सड़क निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था पी0एम0जी0एस0वाई0, जखोली एवं ब्रीज एण्ड रूफ इंडिया लि0 द्वारा क्रमशः सड़क निर्माण से उत्सर्जित मलवा व पुल के निर्माण हेतु नीव के खुदान से उत्सर्जित मलवे का CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT RULE 2016 उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार समुचित प्रबन्धन/निस्तारण नहीं किया गया है।

अतः उक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(खुशबन्त सिंह चौहान)
अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड
रुद्रप्रयाग।

(एस.एस.चौहान)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप निदेशक/ज्येष्ठ खान
अधिकारी, रुदप्रयाग।

(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

(आशीष चन्द घिल्डियाल)
उप जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

NOTARY
GOVT. OF UTTARAKHAND

संलग्नक 3 4.

Item No.11

Court No. 3

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No.1144/2024

Mohan Singh Bagdri — Applicant

Versus

State of Uttarakhand — Respondent

Date of hearing: 08.01.2025

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None for the applicant.

Respondents: Mr. Dhruv Tamta and Mr. Nishchay Dutt, Advocates for State of Uttarakhand.

ORDER

1. Vide order dated 19.11.2024 this Tribunal constituted a Joint Committee with direction to submit report.

2. In compliance thereof, report dated 04.01.2025 of the Joint Committee has been filed the District Magistrate, Rudraprayag.

3. In view of the averments made in the application and observations made in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttarakhand through Secretary, Environment Department, Government of Uttarakhand, (2) Principal Secretary, Irrigation Department, Government of Uttarakhand, (3) District

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND Dehradun District Reg. No. 34(01)/2023

Pollution Control Board(UKSPCB), (5) M/s. Vijay Builder, Hotel Vijay Palace, Kedarnath Road, Tilwara, Rudraprayag and (6) M/s. Bridge and Roof Company Ltd., B-22, 2nd Floor, Himalaya House, K.G.Marg, Connaught Place, New Delhi, who stand impleaded as respondents No. 1 to 6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 6 requiring them to file their reply/response at least three days before the next date of hearing fixed.

4. Notice be served on M/s Vijay Builders through the District Magistrate, Rudraprayag and for this purpose notice issued to M/s Vijay Builders be sent to the District Magistrate, Rudraprayag by E-mail for getting service of the same effected on it and sending his report in this regard

8. List on 14.02.2025 for further hearing.

9. A copy of this order and notice issued to M/s Vijay Builders be sent to the District Magistrate, Rudraprayag by email for requisite compliance.

NOTARY
SANJEEV KUMAR
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 31(01)/2023
GOVT. OF UTTARAKHAND

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

January 08th, 2025
O.A. No. 1144/2024
M

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : ukpcblegalcell@gmail.com, दूरभाष : 0135-2607092

LiFE Lifestyle For Environment

पत्रांक : यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0-183-828 / 2025 / 1520 दिनांक 15.01.2025

महत्वपूर्ण / एन0जी0टी0 मैटर / समयबद्ध

स्पीड पोस्ट द्वारा

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 (सिंचाई खण्ड), जखोली
जिला– रूद्रप्रयाग।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 1144/2024 मोहन सिंह बागड़ी नबाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0 1144/2024 मोहन सिंह बागड़ी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में जो कि विकासखण्ड जखोली जनपद रूद्रप्रयाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्माणधीन सेमलता–कफना–डुंगरा मोटर मार्ग तथा भरदारी गाड़ में पुल निर्माण से निकले मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में है। प्रकरण पर मा0 हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में 11.12.2024 को गठित समिति द्वारा विषयगत स्थल का निरीक्षण किया गया जिसमें आप भी उपस्थित थे। निरीक्षण आख्यानुसारः–

"सड़क निर्माण से उत्सर्जित मलवे (Construction and Demolition Waste) गिरने से भरदारी गाड़ में पानी के बहाव की चौड़ाई कम हुई है। प्रश्नगत स्थल पर एक डम्पिंग यार्ड पाया गया, जिसमें नीचे की तरफ वायर क्रेटस स्थापित पाये गये, जो अत्यधिक मलवा आने से क्षतिग्रस्त पाये गये, जिससे जनित मलवा भरदारी गाड़ में भी गया है, जिसकी पुष्टि निरीक्षण के समय भी की गयी। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्षा काल के समय सड़क के ऊपरी भू–भाग से भू–स्खलन के दौरान उत्सर्जित मलवा भी उक्त भरदारी गाड़ में जाना पाया गया। भरदारी गाड़ में स्थापित घराट (वार्टर मिल) के संबंध में राजस्व अभिलेखों से पुष्टि की गयी, जिसमें पूर्व में उक्त स्थान पर घराट स्थापित था। सड़क निर्माण व वर्षा काल में भू–स्खलन से उत्सर्जित मलवा, कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित डम्पिंग यार्ड के नीचे लगाये गये वार्यर क्रेट क्षतिग्रस्त हुये हैं तथा अतिरिक्त मलवा उक्त भरदारी गाड़ में आने से घराट दब गया है/क्षतिग्रस्त हुआ है।" तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्न बिन्दुओं पर आप अपनी आख्या उपलब्ध करायें:–

1. सड़क निर्माण के दौरान जनित कुल मलवा की मात्रा।
2. चिन्हित निस्तारण स्थल पर निस्तारित कुल मलवा की मात्रा एवं निस्तारण स्थल की क्षमता।
3. भरदारी गाड़ में गये कुल मलवा की मात्रा एवं उससे प्रभावित क्षेत्रफल।
4. भरदारी गाड़ में गये मलवा के प्रभाव को न्यून करने हेतु समयबद्ध कार्ययोजना एवं वर्तमान तक की गई कार्यवाही का विवरण।

उपरोक्त सूचनायें एवं कृत कार्यवाही का विवरण 07 दिनों के अन्तर्गत इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें कृत कार्यवाही से मा0 हरित अधिकारण को अवगत कराया जा सके।

NOTARY SANJEEV KUMAR Advocate Dehradun District Reg. No. 3/(91) GOVT. OF UTTARAKHAND

भवदीय

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, प्रथम तल, निदेशालय पंचायती राज, आई0टी0पार्क के सामने सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून (E-mail ID-ut-urrda@pmgsy.nic.in) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

प्रधानमंत्री ग्रामसड़क योजना

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0(सिं0ख0)
जखोली, रूद्रप्रयाग।

291

16

Email: eopmgsy.jakholi@rediffmail.com

दिनांक 29/01/2025

पत्रांक— 2261/पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0/

सेवा में,

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गौरा देवी पर्यावरण भवन
46बी, आई0टी0 पार्क,
सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे योजित मूल आवेदन सं—1144/2024 मोहन सिंह बागड़ी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— आपका पत्रांक—यूकेपीसीबी/एच0ओ0/सा0—18—828/2025/1520 दिनांक 15.01.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0—1144/2024 मोहन सिंह बागड़ी, बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में जो कि विकासखण्ड जखोली जनपद रूद्रप्रयाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्माणाधीन सेमलता—कफना—डुंगरा मोटर मार्ग तथा भरदारी गाड़ में पुल निर्माण से निकले मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में है। प्रकरण पर मा0 हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में 11.12.2024 को गठित समिति द्वारा विषयगत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार चिन्हित स्थल पर वर्षा काल के समय सड़क की ऊपरी भू—भाग से भू—स्खलन के दौरान उत्सर्जित मलवे के कारण निर्मित डम्पिंग यार्ड के सुरक्षा हेतु लगाये गये वायर क्रेटस क्षतिग्रस्त हुये हैं तथा भरदारी गाड में मलवा आने से पानी के बहाव की चौड़ाई कम हुयी थी। तत्क्रम में आपके द्वारा मांगी गयी आख्या बिन्दुवार निम्नलिखित है—

1. सड़क निर्माण के दौरान कुल जनित मलवे की मात्रा 289184.84 घनमी0 है, जिसमें से सड़क निर्माण के दौरान 168433.73 घनमी0 मलवे का उपयोग सड़क निर्माण के विभिन्न कार्यों में किया गया एवं शेष 120750.75 घनमी0 मलवा चयनित निस्तारण स्थल पर डाला गया है।
2. चिन्हित निस्तारण स्थल पर निस्तारित कुल मलवे की मात्रा लगभग 15000.00 घनमी0 एवं निस्तारण स्थल की क्षमता 22500.00 घनमी0।
3. भरदारी गाड में पूर्व में गये कुल मलवे की मात्रा 1800.00 घनमी0 एवं प्रभावित क्षेत्रफल लगभग 600.00 वर्ग मी0 था। वर्तमान में भरदारी गाड में गये मलवे को हटा दिया गया है एवं भरदारी गाड से निकाले गये मलवे को भरदारी गाड के समान्तर वायर क्रेटस लगाकर निस्तारित किया गया है (फोटोग्राफ्स संलग्न)।
4. भरदारी गाड में गये मलवे के प्रभाव को न्यून करने के लिये भरदारी गाड में गये मलवे को हटाकर नदी के बहाव की चौड़ाई को बढाने के लिये मलवा सफाई एवं भविष्य में भरदारी गाड में मलवा न जाने हेतु भरदारी गाड के समान्तर एवं निस्तारण स्थल पर अतिरिक्त वायर क्रेटस/दीवार का निर्माण करवाया जा रहा है (फोटोग्राफ्स संलग्न)।

अतः महोदय सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0(सिं0ख0)
जखोली, (रूद्रप्रयाग)

पत्रांक — /पी0एम0जी0एस0वाई0सि0ख0/तदिनांक

प्रतिलिपिः— मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0, सहस्त्र धारा रोड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0(सिं0ख0)
जखोली, (रूद्रप्रयाग)

D:\Rahul Bhatt\2025-26\Word\NGT.docx

भरदारी गाड में गये मलवे के प्रभाव को न्यून करने के लिये भरदारी गाड में किये जा रहे सुरक्षात्मक कार्य

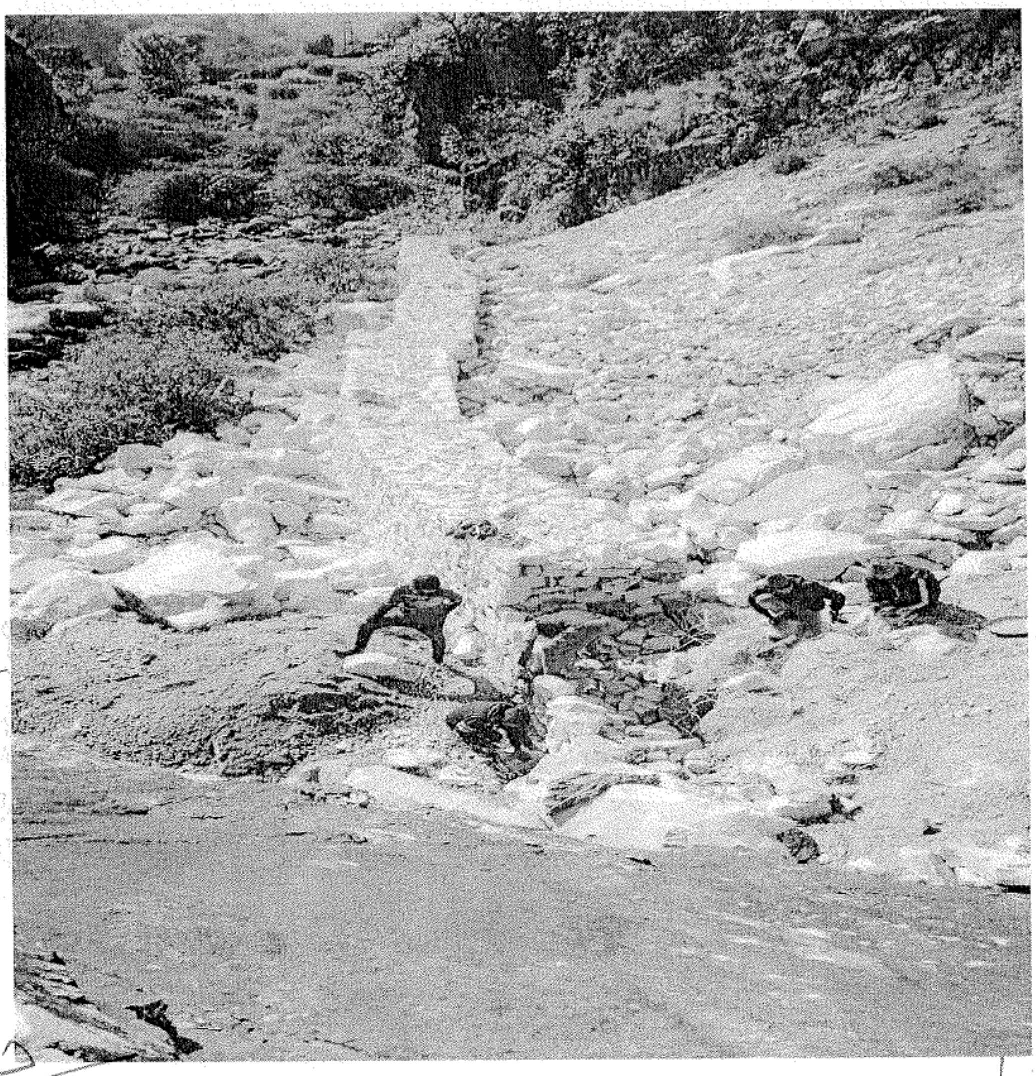

भरदारी गाड में गये मलवे के प्रभाव को न्यून करने के लिये भरदारी गाड में किये जा रहे सुरक्षात्मक कार्य

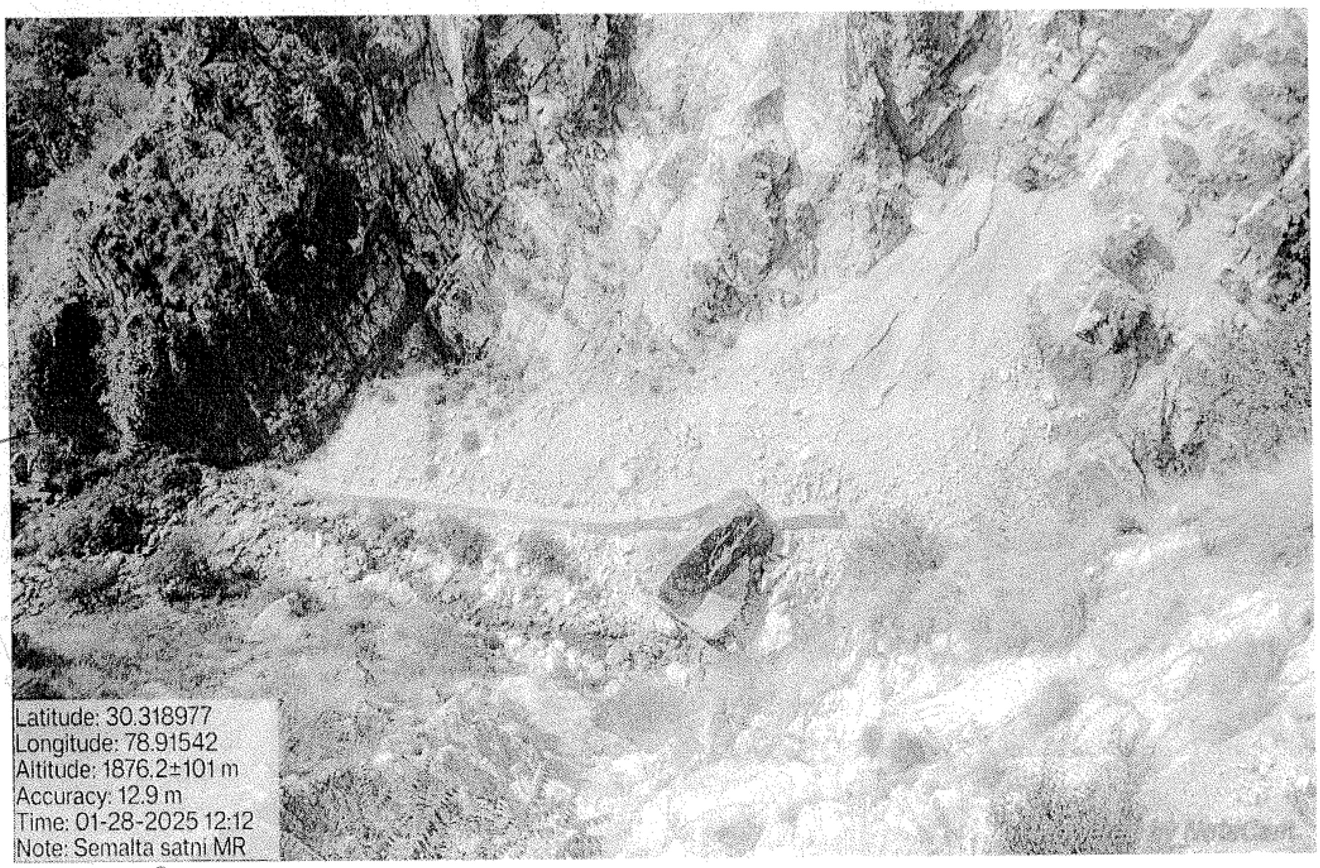

(AME)

बी एण्ड आर
B AND R
Building Nation Since 1920

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
BRIDGE AND ROOF COMPANY (INDIA) LIMITED
(भारत सरकार का एक उद्यम)/ (A Government of India Enterprise)
(सीआईएन: / CIN: U27310WB1920GOI036010)

19

Ref: B&R/NZ/71123/PMGSY-RUD/091

Date: 06.02.2025

To,

The Superintending Engineer,
PWD-PMGSY,
Gopeshwar(HQ-Gauchar)
Uttarakhand

Name of work: **Construction & Maintenance of 70 nos. Bridges in State of Uttarakhand.**

Ref:
1. **MOU dated 22.09.2021**
2. **Your letter no. 35/47 YaTa.-PMGSY/2025 dated 03.02.2025**
3. **Your letter no. 157/18 YaTa.-PMGSY/2025 dated 03.02.2025**
4. **Your letter no. P1-3 (Personal/Government)/URRDA/2024-25 dated 13.01.2025**

Sub: Regarding disposal of excavated materials of Bridge Construction Work in Adari Gaad of Semalta- Kafna MR under PMGSY.

Dear Sir,

With reference to the above cited letters and the captioned subject, this is to inform you that the construction of steel Girder Bridge of 30 M SPAN MOTOR BRIDGE AT CHAINAGE KM-1.50 ON SEMALTA SATNI KAFNA MOTOR ROAD , Dist. Rudraprayag was awarded to M/s Khara Contractors vide LOA number B&R/HO/71123/PMGSY/UK/PKG-16/LOA/688, Dated 03.03.2022.

After getting the benchmark and approach road from PMGSY Irrigation Division/Jakholi in January 2023, our contractor started their work. We did not find any Gharat (water mill) near the bridge project site during the commencement of construction work (Picture attached).

A joint inspection has been conducted at 30m Span Steel Truss Bridge at KM 1.5 on Semata-Kafna-Satni MR (UT10126) site on 11.12.2024 as per the DM/Rudraprayag office order number 901/33-10 (2024-25) dtd 09.12.2024 in presence of EE/PMGSY Rudraprayag, SDM/Rudraprayag and the officers listed in the DM office order.

Now, during inspection it was found that during the construction work, the contractor had done excavation work on the banks of the river for foundation work. The excavation has yielded about 643 cubic meters of soil and small boulders which they have used to prepare temporary ramps (Picture attached) to facilitate the movement of labourers, excavators and other construction equipment during the construction work.

This is for your kind information and necessary action please.

Thanking You,

For, **BRIDGE &ROOF CO. (I) LTD.**

(R. N. Dhali)

Head- PIU-Rudraprayag

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND SANJEEV KUMAR Advocate Dehradun District Reg. No. 34(01)/2023

Cc:
CE /URRDA, Dehradun...For your kind information please.
CE/PMGSY, Gharwal Zone, Dehradun ....For your kind information please.
DGM (N)/B&R...For your kind information please.
Mohan Singh Bagari, Village: Semalta, Rudraprayag. For your kind information please.

Encl: As stated above

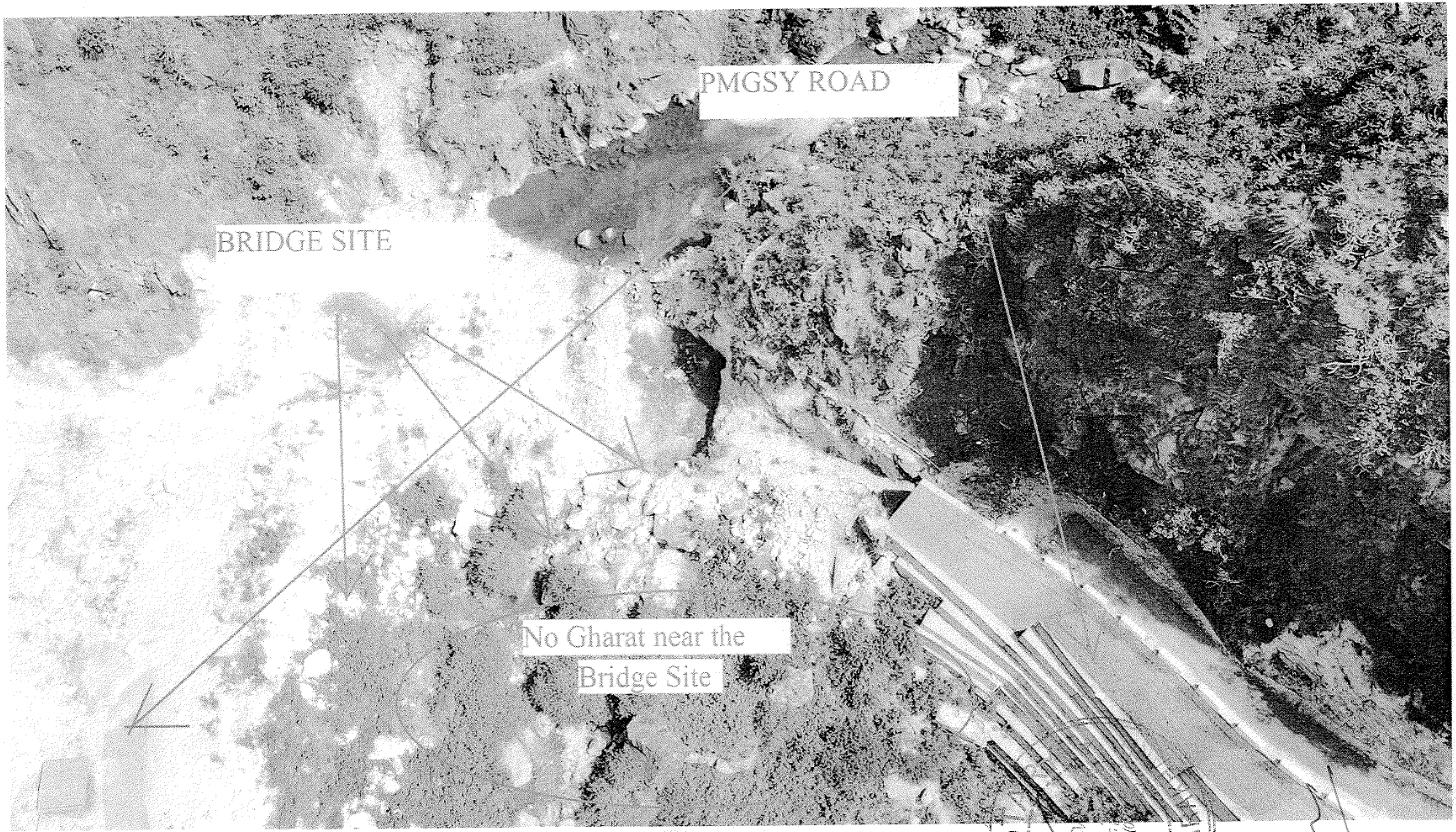
PMGSY ROAD
BRIDGE SITE
No Gharat near the
Bridge Site

GOVT. OF UTTARAKHA
Dehradun Dist.
Reg. No. 34(01)/2023

U.O.No. 69C/XXXVI-A-... /2024-70(03)2024-Rural Development-2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No. 1144 OF 2024

Mohan Singh Bagri — Appellant(s)

Versus

State Of Uttarakhand — Respondent(s)

VAKALATNAMA

I/We **State of Uttarakhand**, the Appellant(s)/Petitioners(s)/Respondent(s)/ intervener(s) of the above Appeal/Petition/ Reference do hereby appoint and retain **Sri Dhruv Tamta**, Advocate of the Supreme Court to act and appear for me/us in the above matter and to conduct or defend the same and to appear in all proceedings that may be taken in respect of any application connected with the same or any decree or order passed therein, including proceedings in taxation and application for Review, to file and obtain return of documents, to deposit and receive money on my/our behalf in said matter and to represent me/us and to take all necessary steps in the above matter. I/We agree, to ratify all acts done by the aforesaid Advocate in pursuance of the authority.

Dated this the 31 day of December, 2024.

ACCEPTED

Mr. Dhruv Tamta,
Panel Advocate,
331, M.C Shetalwad Block,
Supreme Court ,
New Delhi-110001
Mo.-9899989917
E-ID-tamtaadvocate@outlook.com

(Rajesh Kumar) (राजेश कुमार)
Joint Secretary & J.L.R. संयुक्त सचिव
Government of Uttarakhand न्याय एवं संयुक्त विधि परामर्शी
APPELLANTS/PETITIONERS/RESPONDENTS उत्तराखण्ड शासन

ADVOCATES' WELFARE FUND STAMP ₹25 1520078 BAR COUNCIL OF DELHI पच्चीस रुपये TWENTYFIVE RUPEES

MEMO OF APPEARANCE

To,

The Registrar,
National Green Tribunal,
New Delhi.

Sir,

Please enter my appearance in the above mentioned case on behalf of the Petitioner(s)/Respondent(s).

Yours faithfully,

(Dhruv Tamta)
Advocate for the
Petitioner(s) Respondent(s) Appellant(s)

NOTARY SANJEEV KUMAR Advocate Dehradun District Reg. No. 34(01)/2023 GOVT. OF UTTARAKHAND

Outlook

ORIGINAL APPLICATION NO. 1144/2024 Mohan Singh Bagri Versus State of Uttarakhand & ORS.

From dhruv tamta <tamtaadvocates@outlook.com>
Date Fri 2/14/2025 2:28 PM
To mohans.bagari1958@gmail.com <mohans.bagari1958@gmail.com>; Singhrawat.akhilesh@gmail.com <Singhrawat.akhilesh@gmail.com>; MVERMADV@YAHOO.CO.IN <MVERMADV@YAHOO.CO.IN>

1 attachment (7 MB)
Affidavit R2.pdf;

To,

Mohan Singh Bagari
mohans.bagari1958@gmail.com

MUKESH VERMA ADV FOR – UKPCB- RES. NO. 4
MVERMADV@YAHOO.CO.IN,MVERMADV@GMAIL.COM

AKHILESH SINGH RAWAT-RES. NO. 5
99109088007- Singhrawat.akhilesh@gmail.com

Sir

Please find the attached of Affidavit on behalf of respondent no. 02, Irrigation Department Govt. of Uttarakhand in above noted matter.

regards
Dhruv Tamta
Advocate
+91-9899989917

Disclaimer: The content of this electronic communication is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and any others who are specifically authorized to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or otherwise placing reliance on the contents of this information is prohibited and may be unlawful in certain legal jurisdictions. If you have received this communication by error please notify the sender immediately and then delete it from your system.

Security Warning: Although this e-mail and its attachments are believed to be free from any virus, it is the responsibility of the recipient to ensure that they are virus free.

Please consider the environment before printing this e-mail.